

संख्या-15/2/2025-उ.नि.(परीक्षा)/973

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

DOL/MHA

हिंदी शिक्षण योजना

HINDI TEACHING SCHEME

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (EXAM)

ई-मेल/E-mail : ddhts-exam-dol@nic.in

दूरभाष/Phone : 011-26175176

पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम,

EAST BLOCK-7, LEVEL-6, R.K. PURAM,

नई दिल्ली/NEW DELHI-110066.

दिनांक /DATE: 25 JUL 2025

सेवा में

सभी संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

**विषय:- नवंबर, 2025 में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैकिंग/पारंगत तथा प्रबोध
परीक्षाओं की समय सारणी ।**

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैकिंग तथा पारंगत की परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष मई एवं नवम्बर माह में आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जून/दिसंबर के अंतिम कार्यदिवस को घोषित किए जाते हैं।

नवंबर, 2025 में आयोजित की जाने वाली हिंदी भाषा परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी निगरानी (मॉनिटरिंग) को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए "प्रणाली" तैयार की गई है। परीक्षा व्यवस्था को जनवरी, 2018 से "प्रणाली" से जोड़ा गया था। अनुरोध है कि सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 10 जनवरी, 2018 पत्र सं. 12/6/2016 हि.शि.यो.(मु.)/127 के अनुसार नवंबर, 2025 की परीक्षाओं से संबंधित कार्य नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित कराएं :-

1. विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण करते हुए विवरण संकाय सदस्यों अर्थात् हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक(भाषा) द्वारा Online "प्रणाली" में भरा जाए, तत्पश्चात संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उपनिदेशकों से सत्यापित कराकर परीक्षा शाखा को भेजा जाए। परीक्षा शाखा द्वारा मैन्युअल परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नवंबर, 2025 में उन्हीं कार्मिकों की परीक्षा होगी, जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विधिवत् "प्रणाली" में भरा होगा।
2. सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक स्वयं यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संकाय सदस्य द्वारा प्रशिक्षार्थियों का संपूर्ण विवरण "प्रणाली" में सही भरा गया है।
3. "प्रणाली" के अन्तर्गत संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि जुलाई-नवंबर, 2025 सत्र में 31 अगस्त, 2025 तथा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/ उप निदेशकों द्वारा उक्त पंजीकरण को प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

.2/..

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. निम्नवत है:-

- | | |
|---|--|
| (1) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
ddhts-nc-dol@nic.in | दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू
कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड,
लद्दाख व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित
कार्यालयों के लिए |
| (2) संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (दक्षिण)
हिंदी शिक्षण योजना,
ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन,
बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090
ddhts-south-dol@nic.in | तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना तथा पांडिचेरी
केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए |
| (3) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्व)
हिंदी शिक्षण योजना,
18वां तल, निजाम पैलेस परिसर,
234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,
कोलकाता-700020
ddhts-east-dol@nic.in | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार
केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए |
| (4) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पश्चिम)
हिंदी शिक्षण योजना,
केंद्रीय सदन, सी. विंग,
छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर,
नवी मुंबई-400614
ddhts-west-dol@nic.in | महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादरनगर
हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए |
| (5) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्वोत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना,
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,
मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)
ddhts-ne-dol@nic.in | असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय,
नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित
कार्यालयों के लिए |
| (6) उप निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011
ई मेल-adpctracharchti-dol@nic.in | (8) उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा स्वर्ण जयंती भवन,
प्रथम तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर,
एस.सी.रेलवे, विशाखापट्टनम-530004
chti1239@nic.in |
| (7) उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना
ए विंग, 5वां तल, 17 वां मेन,
केंद्रीय सदन, कोरमंगला,
बैंगलूरु - 5600034
oioc.hts.bengluru@gmail.com | (9) उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना
कमरा नं. 403, 6-8/32, चौथा तल,
सी जी ओ टावर्स, कवाडीगुडा,
सिकंदराबाद -500080 (तेलंगाना)
chti1213@nic.in |

4. नियमानुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र एवं आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। किसी एक प्रश्न-पत्र में 35 प्रतिशत अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम को पूरक घोषित किया जाएगा।

5. **मई, 2025** की परीक्षा में पूरक घोषित हुए परीक्षार्थी **नवंबर, 2025** की परीक्षा में सम्मिलित होंगे लेकिन उनका विस्तृत विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जाएगा। पूर्व में जारी पंजीकृत संख्या ही प्रयोग में लानी होगी। **मई, 2025** के पूरक परीक्षार्थी अगर **नवंबर, 2025** की परीक्षा में भाग नहीं लेते तो उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में तीनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा देनी होगी जिनका पुनः पंजीकरण क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कार्यालय द्वारा कराना होगा।

6. भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10/-रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पक्ष में भेजना होगा।

7. वे प्रशिक्षार्थी जो किसी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे अथवा अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं ऐसे प्रशिक्षार्थी आगामी सत्रों की परीक्षाओं में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षार्थियों को यह जानकारी निश्चित रूप से प्रदान कर दी जाए कि प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उन्हें मौखिक परीक्षा भी देनी होगी।

8. प्रशिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी कार्रवाई संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों के माध्यम से ही की जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों द्वारा तत्काल परीक्षा शाखा को ई-मेल द्वारा दी जाए ताकि केंद्र परिवर्तन हेतु नया प्रवेश पत्र जारी किया जा सके। उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। उसके पश्चात केंद्र परिवर्तन हेतु किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. संकाय सदस्यों द्वारा "प्रणाली" के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् ही परीक्षा स्कंध द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने की स्वीकृति दी जाएगी। संकाय सदस्य प्रवेश-पत्र परीक्षा से दो सप्ताह पूर्व "प्रणाली" से स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।

10. केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है। भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं प्रबोध हेतु रु.100/- परीक्षा शुल्क देय है। पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

11. ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती/रसीद उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।

Online/NEFT के लिए आवश्यक विवरण :-

बैंक का नाम	-	भारतीय स्टेट बैंक, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
खाता संख्या	-	35148065018
ब्रांच कोड	-	00625
IFSC कोड	-	SBIN0000625

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।)

प्रणाली में परीक्षा शुल्क संबंधी विवरण भरे जाने पर ही पंजीकरण परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा उनके प्रवेश-पत्र नहीं निकाले जा सकेंगे।

नवंबर, 2025 की परीक्षाओं की समय-सारणी

परीक्षा	प्रश्न-पत्र	दिन	दिनांक	समय
प्रवीण	प्रथम	शनिवार	15.11.2025	10.00 से 13.00 बजे तक
प्रवीण	द्वितीय	शनिवार	15.11.2025	14.00 से 17.00 बजे तक
प्रवीण	मौखिक	रविवार	16.11.2025	10.00 से 17.00 बजे तक
प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग	प्रथम	रविवार	16.11.2025	10.00 से 13.00 बजे तक
प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग	द्वितीय	रविवार	16.11.2025	14.00 से 17.00 बजे तक
प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग	मौखिक	सोमवार	17.11.2025	10.00 से 17.00 बजे तक
पारंगत	प्रथम	शनिवार	22.11.2025	10.00 से 13.00 बजे तक
पारंगत	द्वितीय	शनिवार	22.11.2025	14.00 से 17.00 बजे तक
प्रबोध	प्रथम	रविवार	23.11.2025	10.00 से 13.00 बजे तक
प्रबोध	द्वितीय	रविवार	23.11.2025	14.00 से 17.00 बजे तक
प्रबोध	मौखिक	सोमवार	24.11.2025	10.00 से 17.00 बजे तक

टिप्पणी - मौखिक परीक्षा सुविधानुसार लिखित परीक्षा के दिन भी ली जा सकती है ।

12. "प्रणाली" के अंतर्गत केंद्र अधीक्षक संबंधी संपूर्ण जानकारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/संकाय सदस्य द्वारा भरी जाएगी । संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/संकाय सदस्य यह सुनिश्चित करें कि केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हो, उसी शहर में कार्यरत हों तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो । उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हों ।

13. "प्रणाली" में केंद्र अधीक्षक संबंधित विवरण **15 सितंबर, 2025** तक क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/संकाय सदस्य द्वारा संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(परीक्षा) को अद्योषित किया जाए ताकि परीक्षा संबंधी आगे की कार्यवाई करते हुए केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र एवं प्रश्न-पत्र, समय सारणी आदि यथा समय भिजवाई जा सके ।

14. कृपया सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा केंद्र/विद्यालय का किराया (जहां परीक्षा केंद्र/विद्यालय किराए पर लेने की आवश्यकता हो) तथा फुटकर व्यय आदि के लिए अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु अग्रिम मांग पत्र (किराए की रसीद सहित) भी दिनांक **05 अक्टूबर, 2025** तक परीक्षा स्कंध को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

15. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन द्वारा केंद्र अधीक्षक एवं इयूटी करने वाले सभी कार्मिकों के बैंक खाते में किया जाएगा। बिल के साथ केंद्र अधीक्षक एवं इयूटी करने वाले सभी कार्मिकों के बैंक खाते का विवरण, यथा बैंक का नाम/शाखा का नाम/खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी.कोड/मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य रूप से भेजा जाए ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके। सुगमता को देखते हुए रद्द (कैंसल) चेक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए।

16. पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। एक केंद्र में यदि 10 से कम परीक्षार्थी होंगे तो किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी -

1. कृपया संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय की ई-मेल भेजने का कष्ट करें ताकि भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार किया जा सके।
2. सभी क्षेत्रीय कार्यालय कृपया यह सुनिश्चित करें कि संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षार्थियों का विवरण प्रणाली में सही प्रकार से भरा गया है।
3. सभी संकाय सदस्य प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण करते समय निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण संख्या कृपया नोट कर लें, जिससे यदि किसी कारणवश प्रणाली में तकनीकी बाधा आती है तो परीक्षा निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जा सके।

भवदीय

(आशा राम)

सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

chti1256

पृष्ठांकन संख्या - 15/2/2025-उ.नि.(परीक्षा)/273..... दिनांक 25 JUL 2025 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
3. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली - 110001 को इस अनुरोध के साथ कि इसे सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न नराकास अध्यक्षों को परिचालित करवाने की कृपा करें।
4. नोडल अधिकारी (वेबसाइट), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस आशय के साथ कि इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/राजभाषा विभाग (chti.rajbhasha.gov.in) वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(आशा राम)

सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

chti1256